उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार–249404

संख्याः–33 / 19 / डी0आर0(स0नि0) / सेवा–2 / 2021–22 दिनांकः 10 अप्रैल, 2024

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत **सफाई निरीक्षक परीक्षा–2023** के विज्ञापन दिनांक 08 अगस्त, 2023 के क्रम में मुख्य लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 को किया गया था। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति संख्या–294, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के सापेक्ष अभिलेख / प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 तक प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में प्रश्नगत परीक्षा हेतु कतिपय अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे से संबंधित प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण निम्न तालिका के कॉलम–4 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया हैः–

S.N.	Roll No	Candidate's Name	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	900234	FATEH SINGH	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत एन0सी0सी0 'बी' का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण–पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अधिमान मान्य नहीं है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 के कार्यालय को **दिनांक 25 अप्रैल, 2024 (बृहस्पतिवार) के सांय 06:00 बजे तक** व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक / अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।